संख्या : 1861-V / श0वि0 / आ0–04–44 (एच0के0एम0) / 2003

प्रेषक,

डी0के0 गुप्ता,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

मेलाधिकारी,
अर्द्धकुम्भ मेला–2004
हरिद्वार, उत्तरांचल ।

आवास एवं शहरी विकास अनुभाग–1 देहरादून, दिनांक 16 जून, 2004

विषय : जनपद हरिद्वार में अर्द्धकुम्भ मेला–2004 की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या 2022 / श0वि0–आ0–2003–13(बजट) / 2003, दिनांक 13 अगस्त, 2003 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा स्वास्थ्य विभाग के कार्यों हेतु रू0 809.77 लाख की धनराशि की स्वीकृति प्रदान करते हुए इतनी ही धनराशि आपके निवर्तन पर रखी गयी थी, उक्त शासनादेश दिनांक 13 अगस्त, 2003 द्वारा विद्युत व्यवस्था हेतु रू0 10.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी थी, के क्रम में मेलाधिकारी, अर्द्धकुम्भ मेला–2004 द्वारा अपने पत्रांक: दिनांक 29 जनवरी, 2004 द्वारा अवगत कराया कि विभिन्न चिकित्सा शिविरों, अस्थाई चिकित्सालयों, कार्यालयों एवं आवासीय परिसर में विद्युत संयोजन, विद्युत किराया, विद्युत सामग्री की ढुलाई हेतु उक्त धनराशि को अपर्याप्त बताते हुए मेलाधिकारी, स्वास्थ्य द्वारा उक्त मद में मेला प्रशासन द्वारा स्वीकृत दरों के आधार पर रू0 36.34 लाख के संशोधित प्रस्ताव स्वीकृति का अनुरोध किया गया, के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रेषित आगणन रू0 36.34 लाख के आगणन की तकनीकी परीक्षणोंपरांत संस्तुत रू0 28.50 लाख की धनराशि की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त के विपरीत देय समस्त अवशेष रू0 18.50 लाख की धनराशि को व्यय हेतु आपके निर्वतन पर निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

1. उक्त धनराशि आपके द्वारा आहरित कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी

2. उक्त धनराशि का उपयोग उन्हीं योजनाओं एवं मदों के लिये किया जायेगा जिन योजनाओं एवं मदों के लिये धनराशि स्वीकृत की गयी है। किसी भी दशा मे धनराशि का व्ययावर्तन किसी अन्य योजना / मद में नहीं किया जा सकेगा।

3. स्वीकृत धनराशि के व्यय अथवा निर्माण करने से पूर्व सभी योजनाओं / कार्यो पर सम्बन्धित मानचित्र एवं विस्तृत आगणन गठित कर तकनीक दृष्टिकोण से समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए एवं विशिष्टयों का अनुपालन करते हुए प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

4. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्दर पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

5. स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर परचेज रूल्स एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से अनुपाल सुनिश्चित किया जाये।

6. सभी निर्माण कार्य समय–समय पर गुणवत्ता एवं मानकों के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेगें तथा यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करते है तो सम्बन्धित संस्था को अग्रेत्तर धनराशि उक्त मानकों को पूर्ण करने पर ही निर्गत की जायेगी।

7. उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि की प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव अविलम्ब भारत सरकार को प्रेषित किया जायेगा। किसी भी दशा में पूर्व स्वीकृत योजनाओं में अस्वीकृत की जा रही योजनाओं/मदों का शामिल न होना सुनिश्चित किया जाये तथा मदें शामिल नहीं है तो स्वीकृत की जा रही धनराशि को वापस कोषागार में जमा कर दिया जाये।

8. समस्त कार्य लोक निर्माण विभाग की विशिष्टयों के अनुरूप ही कराया जायेगा तथा कार्य की सही गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित निर्माण इकाई लोक निर्माण विभाग अथवा सिंचाई विभाग के संरक्षण में कार्य करेगी ताकि कार्य की गुणवत्ता बनी रहे।

9. विस्तृत आगणन में ली जाने वाली दरों का अनुमोदन निकटतम लो0नि0वि0/सिचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता से आवश्यक होगा एवं कार्य कराने से पूर्व समस्त कार्यो का स्थल निरीक्षण उच्च अधिकारियों से करा लिया जायेगा एवं स्थल पर आवश्यकतानुसार ही कार्य किये जायेगें।

10. निर्माण कार्य पर प्रयोग की जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये ।

11. कार्य पूर्ण होने पर इसी वित्तीय वर्ष में उक्त कार्यो की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण राज्य सरकार को एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

12. कार्यो की समयबद्वता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित विभाग/निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें।

13. उपकरणों/सामग्रियों आदि का डी0जी0एस0 एण्ड डी0 की दरों पर अथवा टेण्डर/कोटेशन विषयक नियमों का अनुपालन करते हुए किया जायेगा।

14. निर्माण कार्य कर प्रयोग की जाने वाली समस्त सामग्री को प्रयोग करने से पहले उसका परीक्षण प्रयोगशाला में किया जाये तथा परीक्षणोपरांत उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।

15. उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2004–05 के आय–व्यय के अनुदान सं0–13–लेखा शीर्षक 2217–शहरी विकास–80–सामान्य–आयोजनागत–800–अन्य–01– केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–01–हरिद्वार कुम्भ मेला हेतु अवस्थापना सुविधा–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता के नामे डाला जायेगा।

16. यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0: 547 वि0अनु0–3/2004, दिनांक 14 जून, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डी0के0 गुप्ता)
अपर सचिव

संख्या 3861 (I)/श0वि0/आ0–04 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (प्रथम), लेखा परीक्षा उत्तरांचल, देहरादून ।
2. सचिव, स्वास्थ्य, उत्तरांचल शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कैम्प कार्यालय, देहरादून।
4. जिलाधिकारी, हरिद्वार ।
5. श्री एम0एल0 पन्त, अपर सचिव, वित्त/बजट सेल, उत्तरांचल शासन।
6. अपर मेलाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, देहरादून ।
7. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री।
8. वित्त अनुभाग–3/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तरांचल शासन, देहरादून
9. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार।
10. गार्ड बुक ।

NIC

आज्ञा से,

15/6/04

(डी0के0 गुप्ता)
अपर सचिव